

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ०प्र०

Allahabad State University, Allahabad, U.P.

पत्रांक: इ0रा0वि0वि0 / कु0स0का0 / 227 / 2016,

दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद।

विषय: माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-58212 सन् 2016 एवं अन्य याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 19.12.2016 के अनुपालन में सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा शुल्क व अन्य शुल्क जमा कराए जाने हेतु तिथि विस्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-58212 सन् 2016 केवलापति महाविद्यालय सिंधौरा एवं 31 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2016 को निम्न आदेश पारित किया गया-

"As aggrieved between the parties, the time to deposit examination fee and other amounts specified in the decision dated 17-11-2016, stands extended till 15th January, 2017."

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.12.2016 के अनुपालन में आदेशानुसार सम्बद्ध महाविद्यालयों से परीक्षा शुल्क व अन्य शुल्क बिना विलम्ब शुल्क के जमा कराये जाने की अंतिम तिथि जो पूर्व में दिनांक 22.12.2016 निर्धारित थी, को विस्तरित करते हुए दिनांक 15.01.2017 निर्धारित की जाती है।

सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय अपनी कालेज लॉगिन से विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क के विवरण की प्रति/प्रतियां डाउनलोड करते हुए विश्वविद्यालय के बैंक खातों में RTGS/NEFT के माध्यम से प्रत्येक दशा में दिनांक 15.01.2017 तक जमा करते हुए शुल्क विवरण की विश्वविद्यालय प्रति एवं जमा धनराशि के प्रमाण के साथ विश्वविद्यालय के वित्त विभाग को उपलब्ध कराना अवश्य सुनिश्चित करेंगे।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त प्रबन्धक, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।
2. वित्त अधिकारी, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय।
3. उपकुलसचिव, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन पर अपलोड कराने हेतु।
4. प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।
5. निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. विश्वविद्यालय के सूचना बोर्ड हेतु।

कुलसचिव